अपील सूचना अधिकार संख्या 107/2020(GCMS 2020/00168) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139—35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/311010) <u>बनाम</u> सहायक निदेशक लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेंट, श्रीगंगानगर

<u>08.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **सहायक निदेशक लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेंट, श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा सहायक निदेशक, लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थीः

राजस्थान सम्पर्क पर में अंकित कियाह" कि "मंगतराम, सहायक अभियंता अथवा कनिष्ठ अभियंता का कोई अधिकारी कार्यरत नही है अतः शिकायत दाखिल दफ्तर की गयी है।

1. उपरोक्त कथन जिस आधार पर अधिकारी या लिपिक या कर्मकार के कथनों पर अंकित किये गये है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
2. मंगतराम सेठिया, सहायक अभियंता पद पर नगर परिषद, श्रीगंगानगर में पदस्थापित रहे, उसकी सूचना जिस अवधि से जिस अवधि तक नगरपरिषद् में पदस्थापित रहे। उस विभाग का नाम, जिसने यह मिथ्या सूचना दी है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:45 IST
Reason: SelfAttested

3. मिथ्या सूचना की अवस्था पर दोषी पर कार्यवाही करने की सूचना, जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराने की सूचना।

सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सहा. निदेशक/RTI/2020/459 दिनांक 09.10.2020 से आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर से प्राप्त कर मूल ही इस न्यायालय को प्रेषित किया है। आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर **ने सहायक निदेशक लोक सेवाऐं कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल के अपील के संबंध में श्री मंगतराम सेतिया, अधिशाषी अभियंता के संबंध में सूचना चाही गई है कि वे नगर परिषद्, श्रीगंगानगर में कब से कब तक कार्यरत रहे है।

अतः चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	कार्यरत पद	कार्यरत अवधि
1	श्री मंगतराम सेतिया	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	20.05.2010 से 29.09.2013 तक
2	श्री मंगतराम सेतिया	सहायक अभियंता (सिविल)	30.09.2013 से 02.02.2018 तक
3	श्री मंगतराम सेतिया	अधिशाषी अभिंयता	14.06.2019 से 19.07.2019 तक

सूचनार्थ प्रेषित है।

(प्रियंका बुडानिया)
आयुक्त
नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:45 IST
Reason: SelfAttested

आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के माध्यम से उपरोक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है और उक्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज़ दिनांक 08.03.202[illegible] को **मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:45 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर